पत्रांक– बी0–1003/2010(पार्ट)2019–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
(लेखा एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–01,दिनांक–

विषयः– श्रम संसाधन विभाग, (नियोजन पक्ष) के अंतर्गत राज्य स्कीम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में "संयुक्त श्रम भवन निर्माण" योजना के प्रावधानित उपबंध के तहत नियोजन भवन के Renovation and Remodeling to E.W & E.I in Labour Commissioner Chamber, B block, 3rd Floor at Niyojan Bhawan Nehru Path, Patna **के कार्य हेतु कुल ₹1,77,583/–(एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ तेरासी) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्कीम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में "संयुक्त श्रम भवन निर्माण" स्कीम के प्रावधानित उपबंध के तहत नियोजन भवन के Renovation and Remodeling to E.W & E.I in Labour Commissioner Chamber, B block, 3rd Floor at Niyojan Bhawan Nehru Path, Patna **के कार्य हेतु कुल ₹1,77,583/–(एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ तेरासी) मात्र** के कार्य हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1, पटना, भवन निर्माण विभाग, पटना ने अपने पत्रांक–948 दिनांक–20.02.2025 द्वारा **₹1,77,583/–(एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ तेरासी)** मात्र की लागत पर प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) को उपलब्ध कराया गया है। राज्य स्कीम में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹3200.00 लाख मात्र का बजट उपबंध प्रावधानित है। इसके अंतर्गत उक्त कार्य हेतु **₹1,77,583/–(एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ तेरासी) मात्र** के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम अंतर्गत राशि का व्यय योजना शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0116–संयुक्त श्रम भवन निर्माण, समूह शीर्ष राज्य स्कीम, माँग संख्या–3, विपत्र कोड–03.4059.01.051.0116 के विषय शीर्ष–"53 01–मुख्य निर्माण कार्य" मद में उपबंधित राशि ₹3000.00 लाख मात्र में से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

5. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।

6. इस कार्य हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य का मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना को ससमय समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका सं0–बी0–1003/2010(पार्ट)2019 के पृ0–123 ....../टि0 पर तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0–122....../टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– बी0–1003/2010(पार्ट)2019– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता विद्युत, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, दक्षिण बिहार, भवन निर्माण विभाग, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– बी0–1003/2010(पार्ट)2019– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– बी0–1003/2010(पार्ट)2019–403 पटना–01, दिनांक–25.03.2025

प्रतिलिपिः–विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

25.3.25
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

D:\YOJNA WORK\RANDHIR SIR\LETTER.DOCX (370)